

## आदेश

श्री सुरेश चन्द्र, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर परिषद, नरवाना को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

इस कर्मचारी को निलम्बन अवधि के दौरान हरियाणा सिविल सेवाएं (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 83 के अनुसार गुजारा भत्ता दिया जाएगा।

स्थान: पंचकुला  
दिनांक 22.01.2020

अमित कुमार अग्रवाल,  
महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय,  
हरियाणा, पंचकुला।

पृ० क्रमांक: डी.जी.यू.एल.बी./स्था./2ई/2020/4401-04

दिनांक:- 22-01-2020

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. उपायुक्त, जीन्द।
2. चैयरमैन, महिला आयोग, हरियाणा को उनके पत्र दिनांक 18.12.2019, स्मरण पत्र दिनांक 24.12.2019 तथा 09.01.2020 के सन्दर्भ में।
3. कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद, नरवाना।
4. श्री सुरेश चन्द्र, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर परिषद, नरवाना।

अधीक्षक (स्थापना),  
22/1/2020

कृते: महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय,  
हरियाणा, पंचकुला।

### CC:-

1. PA/DGULB
2. PA/ADULB
3. Nodel Officer (Web Portal)